

## प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 12.10.2021

### वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के द्वारा वांछित अपराधियों के विरूद्ध गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे हैं अभियान के तहत कार्यवाही

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों के विरूद्ध गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा मुझ प्रभारी निरीक्षक राजघाट के नेतृत्व में द्वारा मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 रवि कुमार राय मय हमराहीयान के मु0अ0सं0 261/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि0 व 138 एनआई एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश शुक्ला पुत्र प्रयाग शुक्ला निवासी ews -182 राप्तीनगर फेज -4 थाना शाहपुर गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से पत्रकार का फर्जी आई कार्ड ,आधार कार्ड व बिल्ला क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी का बरामद किया गया । उपरोक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 रवि कुमार राय थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- राजेश शुक्ला पुत्र प्रयाग शुक्ला निवासी ews -182 राप्तीनगर फेज -4 थाना शाहपुर गोरखपुर

#### गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 12.10.2021 समय 14.45 बजे, गिरफ्तारी का स्थान —टीडीएम तिराहा थाना राजघाट गोरखपुर

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 261/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि0 व 138 एनआई एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

#### गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-उ0नि0 श्री रवि कुमार राय थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2- का0 अश्वनी यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- का0 जयप्रकाश यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर